छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 7–4 / 2009 / 1–3 रायपुर, दिनांक 27/03/2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़, बिलासपुर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः– शासकीय सेवकों की असामयिक मृत्यु होने पर उनके परिवार के आश्रित को नौकरी में प्राथमिकता ।

संदर्भः– इस विभाग का परिपत्र क. 7–4 / 2002 / 1–3 दिनांक 10.06.2003

उपरोक्त संदर्भित पत्र में शासकीय सेवकों की असामयिक मृत्यु होने पर उनके परिवार के आश्रित को नौकरी में प्राथमिकता देने के मूल निर्देश जारी किये गये हैं । निर्देश की कंडिका (6)5एवं 6(6) में प्रावधान है कि अनुकंपा नियुक्ति यथासंभव उसी विभाग या कार्यालय में दी जावेगी जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक अपने निधन के पूर्व नियोजित था, अनुकंपा नियुक्ति हेतु नियमानुसार कोई पद उपलब्ध न हो तो अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा । विभागाध्यक्ष पहले अपने अधीनस्थ किसी कार्यालय में रिक्त पद पर नियुक्ति देने का प्रयास करेगा , तथा पद रिक्त न होने के कारण यदि नियुक्ति देना संभव न हो तो विभागाध्यक्ष द्वारा तद्विषयक प्रमाण पत्र देकर आवेदन पत्र संबंधित जिला कलेक्टर को अग्रेषित किया जावेगा ।

क्रमश...2......

2/ अनुकंपा नियुक्ति की व्यवस्था, मृत शासकीय सेवक के परिवार के समक्ष अचानक उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने के उद्देश्य से बनाई गई है । इसी दृष्टि से मृत शासकीय सेवक के आश्रित को पात्रतानुसार शिक्षाकर्मी वर्ग–3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति की व्यवस्था भी की गई है ।

3/ उपरोक्त निर्देशों का पालन न करते हुये कुछ कार्यालय/ विभाग प्रमुखों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में, पद की रिक्तता संबंधी उचित प्रमाण पत्र संलग्न किये बिना तथा संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रेषित न कर, सीधे अन्य जिलों को प्रेषित किये गये हैं । इससे दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रितों के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में अनावश्यक विलंब होता है ।

2/ अतः निर्देशित किया जाता है कि दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें ।

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 7–4/2009/1–3 रायपुर, दिनांक 27/03/2010

प्रतिलिपि :–

01. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
02. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर,
03. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर,
04. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी रायपुर,
05. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर,

06. सचिव, विधानसभा सचिवालय रायपुर,
07. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर,
08. समस्त मंत्रीगण/संसदीय सचिव/छत्तीसगढ़ शासन के निज सचिव/निज सहायक रायपुर,
09. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर,
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर
11. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर,
12. सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी (समस्त कक्ष) सामान्य प्रशासन विभाग,
13. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, मंत्रालय, रायपुर,
14. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर,
15. अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष–6 मंत्रालय, रायपुर की ओर वेबसाईट **www.cg.nic.in/gad** पर अपलोड हेतु,

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(एम.एम. मिंज)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

compassion